


मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 25/06/2005

क्रमांक एफ 13-108/2003/20-1 : राज्य शासन, माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापकों को राजपत्रित अधिकारी घोषित करता है, किन्तु ये आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य नहीं करेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(पुष्पलता सिंह)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांक एफ 13-108/2003/20-1,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25/06/2005

1. सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी, म0प्र0 भोपाल.
2. माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म0प्र0.
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर.
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर.
5. सामान्य प्रशासन विभाग(वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय, म0प्र0 भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, म0प्र0 भोपाल.
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल.
8. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल.
9. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ । कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0.

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग